

12.2026

अपर लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्त छोटलाल व मुकेश अनुपस्थित का प्रार्थना पत्र हाजिरी माफी पेश हुआ जो जरिये वकील आज के लिए स्वीकार किया जाता है। थाना सदर से कानि. महादेव 118 अभियुक्त मेहबूब उर्फ भूरा का गिरफ्तारी वारंट अदम लेकर उपस्थित आया। महादेव के बयान मफरूरी सी डब्ल्यू-1 लेखबद्ध किये गये। उक्त बयान के आधार पर अभियुक्त मेहबूब उर्फ भूरा पुत्र अय्यूब मंसूरी निवासी मकान नम्बर 82 वार्ड नं. 34 मस्जिद के पास मदारपुरा थाना कोतवाली जिला मंदसौर का निकट भविष्य में मिलने की संभावना नहीं है। अतः अभियुक्त मेहबूब उर्फ भूरा को मफरूर घोषित किया जाता है। उसको स्थाई गिरफ्तारी वारंट से तलब किया जावे तथा संबंधित थाना से स्थाई गिरफ्तारी वारंट के आमद नम्बर तलब हो। मुलजिम मेहबूब के विरुद्ध कार्यवाही धारा 82-83 सी आर पी सी (धारा 84-85 बी.एन.एस.एस.) पृथक से खोली जावे।

Sir SW case 1

पत्रावली वास्ते साक्ष्य सफाई दिनांक 24.02.2026 को पेश

हो।

अपर सेशन न्यायाधीश
क्रम संख्या-2, बूंदी (राज०)

24/2/2026

महोदय को न्यायाधीश के रूप में उक्त मुकदमे को सुनाने के लिये 11 मजसूम हस्त में न्यायाधीश के आदेश में न्यायाधीश को कोतवाली थाना के न्यायाधीश को गिरफ्तारी वारंट पेश करने के लिये आदेश दिया गया है।
न्यायाधीश को न्यायाधीश के रूप में उक्त मुकदमे को सुनाने के लिये 11 मजसूम हस्त में न्यायाधीश के आदेश में न्यायाधीश को कोतवाली थाना के न्यायाधीश को गिरफ्तारी वारंट पेश करने के लिये आदेश दिया गया है।
न्यायाधीश को न्यायाधीश के रूप में उक्त मुकदमे को सुनाने के लिये 11 मजसूम हस्त में न्यायाधीश के आदेश में न्यायाधीश को कोतवाली थाना के न्यायाधीश को गिरफ्तारी वारंट पेश करने के लिये आदेश दिया गया है।

अपर सेशन न्यायाधीश
क्रम संख्या-2, बूंदी (राज०)